



प्रेस विज्ञप्ति

08.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ने 07.10.2026 को मेसर्स एरिना फूड एंड एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, शेखपुरा, बिहार व संबंधित व्यक्तियों- इसके निदेशक श्रीकृष्ण कुमार, शोभा कुमारी (पत्नी राधे शर्मा, निदेशक, मेसर्स एरिना फूड एंड एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड), कन्हैया कुमार पुत्र राधे शर्मा तथा कुबेर कश्यप पुत्र राधे शर्मा से संबंधित **1,09,26,808/-** रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी की जांच मेसर्स एरिना एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राधे शर्मा के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह मेसर्स एरिना फूड एंड एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक चावल मिल चला रहे थे, जिसने वर्ष 2012-13 के दौरान बिहार राज्य खाद्य निगम (बीएसएफसी) से 63092.45 किंटल धान की खरीद की थी और अनुबंध के अनुसार 30.12.2013 तक धान का 67% यानी 42271.94 किंटल के बराबर कस्टम मिल्ड चावल (सीएमआर) की आपूर्ति करनी थी। तथापि, आरोपित ने 23101.94 किंटल के स्थान पर केवल 19,170 किंटल सीएमआर की आपूर्ति की थी, जिसके कारण सरकारी खजाने को 5,00,28,637.19 रुपये की हानि हुई (2165.56 रुपये प्रति किंटल की दर से) और तदनुरूप उन्हें लाभ हुआ। एफआईआर और उसके बाद जांच एजेंसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, मेसर्स एरिना फूड एंड एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बीएसएफसी को 1,21,00,000 रुपये का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, कुल बकाया राशि **3,79,28,637/-** रुपये होती है, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा राधे शर्मा पर आरोप तय किए गए हैं, और इसे आरोपितों के पास मौजूद अपराध की आय के रूप में देखा गया है।

ईडी की जांच में पता चला है कि आरोपितों ने कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) को खुले बाजार में नकद में बेच दिया तथा एफआईआर दर्ज होने तथा बीएसएफसी के अनुस्मारकों के बावजूद जानबूझकर बिहार सरकार को देय राशि वापस नहीं की। इससे यह भी पता चला है कि आपराधिक गतिविधियों के अर्जित अपराध की आय (पीओसी) का उपयोग उनके व्यावसायिक कार्यों में किया गया था और अब वह समाप्त हो चुकी है। यह भी पता चला है कि मेसर्स एरिना फूड एंड एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के खातों से धनराशि उसके निदेशकों, मुख्य आरोपित राधे शर्मा के परिवार के सदस्यों और उसके पुत्रों की पारिवारिक संस्थाओं के बैंक खातों में जमा करके रखी गई। तदनुसार, पीएमएलए की धारा 2(1)(यू) के प्रावधानों के तहत, आरोपित संस्था मेसर्स एरिना फूड एंड एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, शेखपुरा, बिहार, इसके निदेशक श्रीकिशन कुमार, शोभा कुमारी (राधे शर्मा की पत्नी), तथा कन्हैया कुमार और कुबेर कश्यप (दोनों राधे शर्मा के पुत्र) द्वारा अर्जित 1,09,26,808/- रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।
